अनुसूचित जाति की महिलाओं की प्रस्थितियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

*डॉ. आरती रावत

भारतीय समाज वैदिक काल से समान महिला–पुरुष अधिकारों की परिकल्पना पर विश्वास करता रहा है। नारी को ही सृष्टि का मुख्य आधार माना गया है जिसका प्रमाण इस बात से ही मिल जाता है कि भारतीय परम्परा के अधिकतर मूल आधारों का स्त्रोत तथा महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक शक्तियों का नाम नारी संगत है उस काल में महिलाएं समाज में अनेक दायित्वों जैसे–गुरु, चिकित्सक, विदुषी, शासक तथा आध्यात्मिक गुरुओं की भूमिका का निर्वाहन करती थी। चूंकि उस काल में प्रतिभा तथा ज्ञान को लिंग के आधार पर नहीं देखा जाता था, यही कारण था कि जिसने महिला–पुरुष दोनों को विकास के समान अवसर प्रदान किए जिसके परिणामस्वरुप प्राचीन भारत में समृद्ध सामाजिक ढॉचे का निर्माण हुआ। सामाजिक व्यवस्था को बनाए तथा सुचारु रुप से चलाने के लिए समाज में कर्म के आधार पर वर्ण (ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) व्यवस्था लागू की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्वों तथा कार्यों द्वारा सामजिक दायित्वों का निर्वाहन करता था इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। परन्तु समय के साथ–साथ परम्परागत कार्यों को अपनाने के कारण इस वर्ण व्यवस्था ने जातिगत स्वरुप ले लिया जिसके कारण वर्तमान भारतीय समाज का जातिगत परिवेश सामने आया इस व्यवस्था के प्रभाव के कारण वर्ण व्यवस्था के शूद्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अन्य वर्णों ने अपनी प्रभावशीलता से इन्हें समाज का सबसे निम्न वर्ग बना दिया और अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध इन पर लगा दिए।

ब्रिटिश काल में नई व्यवस्थाएं लागू होने के कारण भारत की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक व्यवस्था पूर्ण रुप से अप्रभावी हो गई थी। जिसके कारण निम्न वर्ग केवल अपनी जीविका के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने में ही लगे रहे तथा जो लोग आर्थिक रुप से सम्पन्न थे वे ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। स्वतन्त्रता काल तथा उसके पश्चात् समाज सुधारकों के प्रयासों तथा आन्दोलनों के बावजूद निम्नजाति की महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला इसलिए भारतीय संविधान में इस वर्ग के संरक्षण एवं उत्थान के लिए अनेक अधिनियमों की व्यवस्था की गई। आधुनिक काल में मनुष्य ने विकास के द्वारा मानव समाज को विकसित व समृद्ध किया है। वर्तमान भारतीय समाज में उच्च व मध्यम वर्ग की महिलाओं ने अपने विकास के क्रम में कदम बढ़ाये है। इन वर्गों की महिलाएं न केवल परम्परागत शिक्षा वरन् तकनीकी, वैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रही है, लेकिन अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार देखने को नहीं मिले है। घुरिये(1962)[1], रजनी कोठारी (1970)[2], भटट्नागर(1960)[3], बलदेव सिंह आर्य[4] वर्मा(1967),[5] बी0 आर0 अम्बेडकर,[6] सी0 बी0 त्रिपाठी (1987)[7], प्रतिमा गोंड[8], यतीन्द्र सिंह सिसौदिया(2000)[9] आदि ने अनुसूचित जाति से सम्बन्धित अध्ययन कार्य किये हैं। पर्वतीय क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है इनका अपना जीवन अपार कष्टों से भरा हुआ है। इसके अनेक कारण है जिन पर सभी का ध्यान जाना चाहिए। वर्तमान अध्ययन में उनकी स्थिति के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना तथा समस्या के निराकरण के उपायों या समाधान को ढूँढ़ने का प्रयास किया गया है जिससे अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकें।

अध्ययन के उद्देश्य :– 1. समाज में समानता के सम्बन्ध में महिलाओं का दृष्टिकोण ज्ञात करना। 2. परिवार में समानता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना। 3. सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं व योजनाओं के ज्ञान व लाभ सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना।

निदर्शन:–प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक शोध प्रारचना पर आधारित है प्रस्तुत शोध के लिए उत्तराखण्ड राज्य के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल को चयनित किया गया। श्रीनगर गढ़वाल के नौ वार्डों में से वार्ड न0 4 के अन्तर्गत टम्टा मौहल्ला में अधिकांशत अनुसूचित जाति के परिवार निवास करते है, इसलिए वार्ड न0 4 से लाटरी विधि के माध्यम से 100 महिलाओं को चयनित किया गया। अध्ययन की समस्या से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक सामग्री में साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन जबकि द्वितीयक सामग्री में जनसंख्या रिपोर्ट, नगरपालिका रिपोर्ट तथा पत्र–पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण :– स्वतन्त्रता के पश्चात् तथा समाज सुधारकों की वजह से अनुसूचित जाति में सुधार के समाज में उनको भी समानता के अवसर प्राप्त हुए है। महिलाएं घर से बाहर निकलकर अन्य क्षेत्रों में भी कार्य करने लगी है। बढ़ते नगरीकरण और औद्योगीकरण के कारण भी निम्न जाति के साथ भेदभाव में शिथिलता आई है। सवर्ण जाति की महिलाओं के समान व्यवहार के सन्दर्भ में सूचनादात्रियें से प्राप्त

* समाजशास्त्र विभाग, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तरांखण्ड

तथ्यों के आधार पर 54 प्रतिशत सूचनादात्रियें का मानना है कि उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है जबकि 6 प्रतिशत का मानना है कि उनके साथ अन्य सवर्ण जातियों की महिलाओं के जैसे व्यवहार नहीं होता है तथा 40 प्रतिशत सूचनादात्रियों का कहना है कि अभी भी समाज में अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ आशिंक रुप से भेदभाव किया जाता है उनके साथ पूर्णरुपेण समान व्यवहार नहीं किया जाता है।

तालिका संख्या 01 सूचनादात्रियों के साथ सवर्ण जाति की महिलाओं के समान व्यवहार

क्र0स0	समान व्यवहार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	54	54
2.	नहीं	6	6
3.	आशिंक	40	40
	कुल	**100**	**100**

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज पुरुष प्रधान रहा है। परन्तु वर्तमान समय में आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, शिक्षा के परिणामस्वरुप महिलाएं आज घर में सिमटकर न रहते हुए घर से बाहर निकलकर कार्य करने लगी हैं। वह आज आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बन रही है, पुरुषों पर उसकी निर्भरता कम होती जा रही है। अब जब वह घर से बाहर निकलकर भी कार्य करने लगी है उसे घर से बाहर अन्य लोगों के साथ में कार्य करना पड़ता है। घर तथा घर से बाहर अन्य पुरुष उनके साथ कैसा व्यवहार करते है? तालिका संख्या 02 से प्राप्त तथ्यों के आधार पर 42 प्रतिशत सूचनादात्रियों का मानना है कि आज भी उन्हें चाहे वह परिवार हो या परिवार से बाहर पुरुष समाज से भेदभाव, शोषण व उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है 40 प्रतिशत सूचनादात्रियों का कहना है कि उनके साथ पुरुष वर्ग द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है जबकि 18 प्रतिशत परिस्थितियों के आधार पर कभी–कभी पुरुष वर्ग द्वारा भेदभाव क शिकार होती है।

तालिका संख्या 02 पुरुष समाज द्वारा भेदभाव

क्र0स0	भेदभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	42	42
2.	नहीं	40	40
3.	कभी–कभी	18	18
	कुल	**100**	**100**

भारतीय संस्कृति में विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। जातियों की परिधि में वैवाहिक आदान–प्रदान होता है साथ ही जातियॉ कई उपजातियों में विभाजित होती है[10] रक्त की शुद्धता एवं पवित्रता को बनाये रखने के लिए विवाह सम्बन्धी अनेक प्रतिबन्धों एवं विधानों को बनाया गया । जिस कारण परम्परागत भारतीय समाज में अन्तर्जातीय विवाह निषेध रहे। जाति से बाहर विवाह करने पर उस व्यक्ति को जाति बहिष्कार, आर्थिक दण्ड, सामाजिक तिरस्कार आदि दण्ड का विधान रहा है। परन्तु समय के साथ–साथ परिवर्तन, शिक्षा के प्रसार, महिलाओं के आत्मनिर्भर तथा आधुनिकीकरण के कारण विवाह सम्बन्धी प्रतिमानों में भी परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में अन्तर्जातीय विवाह का प्रचलन भी समाज में देखने को मिल रहा है। तालिका सं0 03 से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर 32 प्रतिशत सूचनादात्रियॉ अन्तर्जातीय विवाह का अनुमोदन करती है जबकि 68 प्रतिशत सूचनादात्रियॉ इसे उचित नहीं मानती है उनका मानना है कि विवाह अपनी ही जाति में करना चाहिए।

तालिका संख्या 03 अन्तर्जातीय विवाह का अनुमोदन

क्र0स0	अनुमोदन	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	32	32
2.	नहीं	68	68
	कुल	**100**	**100**

महिलाओं को समाज में उच्च स्तर प्रदान करने के लिए समाज सुधारकें तथा सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए। संसद में विधेयक पारित करवाकर तथा कानून बनाकर महिलाओं के उत्थान के लिए समय–समय पर कार्य किए गए जिससे वे अपने सामाजिक–आर्थिक स्तर को ऊँचा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इसके लिए सरकार द्वारा ड्वाकरा 1982, न्यू माडल चर्खा 1987, महिला सामाख्या 1989, महिला समृद्धि1993, इन्दिरा महिला योजना 1995, स्वास्थ्य सखी 1997, महिला स्वशक्ति 1998 इत्यादि ऐसी कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे महिलाओं की स्थिति में विकास पूर्ण परिवर्तन हो सके। लेकिन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर है कि महिलाओं को इन योजनाओं की कितनी जानकारी है और वह कितनी जागरुक है। अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं से योजनाओं की जानकारी के सम्बन्ध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि मात्र 16 प्रतिशत महिलाओं को ही योजनाओं की जानकारी है जबकि 84 प्रतिशत को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

तालिका संख्या 04 सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी

क्र0स0	जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	16	16
2.	नहीं	84	84
	कुल	**100**	**100**

अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उनके विकास के लिए उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। आरक्षण सुविधा के लाभ से सम्बन्धित प्रश्न पूछने पर 30 प्रतिशत सूचनादात्रियों का कहना है कि उन्हें आरक्षण सुविधा का लाभ मिला है जबकि 70 प्रतिशत सूचनादात्रियों का कहना है कि उन्हें इस प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिला है जिस कारण से वे आज भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति

में पहले थे। उनकी सामाजिक, आर्थिक प्रतिष्ठा में कोई सुधार नहीं हुआ है। आरक्षण का लाभ केवल कुछ लोगो को ही मिल पाता है।

तालिका संख्या 05 आरक्षण नीति का लाभ

क्र0स0	लाभ	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	30	30
2.	नहीं	70	70
	कुल	100	100

भारतीय समाज प्राचीन काल से ही जाति व्यवस्था पर आधारित है जाति की जड़ें समाज में इतनी गहरी रही है कि व्यवहार तथा कार्य भी जाति के आधार पर ही किया जाता रहा, जिसके परिणामस्वरुप निम्न जाति का स्थान समाज में अन्य जातियों से निम्न रहा । इन्हें समाज का सबसे निम्न कार्य दिया गया हीन दृष्टि से देखा जाता रहा, परन्तु समय परिवर्तन के साथ समाज में भी परिवर्तन हुए जिससे जाति व्यवस्था में शिथिलिता आई। औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, पाश्चात्य शिक्षा, आन्दोलनों, समाज सुधारकेां तथा संविधान द्वारा प्रदत्त कानून द्वारा समाज की अन्य जातियों के व्यक्तियेां के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। जाति बन्धनों में शिथिलता के कारण उन्हें भी समाज की अन्य जातियों की तरह समान अवसर प्रदान किए गए। सार्वजनिक स्थलों तथा अन्य कार्यो से उन पर प्रतिबंध हटा दिए गए और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया । समाज में समानता के व्यवहार से सम्बन्धित प्रश्न पूछने पर 52 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि उनके साथ समाज की अन्य जातियों तथा महिलाओं के समान ही व्यवहार किया जाता है, जबकि 48 प्रतिशत सूचनादात्रियों का मानना है कि उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों को अभी भी अन्य जातियों की अपेक्षा निम्न और हीन दृष्टि से देखा जाता है।

तालिका संख्या 06 समाज में समानता का व्यवहार

क्र0स0	व्यवहार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	52	52
2.	नहीं	48	48
	कुल	100	100

निष्कर्ष :– वर्तमान समय में संविधान के द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं इससे इनकी स्थिति में सुधार भी आया है परन्तु समाज में उन्हें एक निश्चित स्थान दिलाने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयास तब ही अधिक सफल हो सकते हैं, जब हमारे समाज की सोच, व्यवहार और पूर्वधारणाओं में भी परिवर्तन नहीं हो जाता है। अनुसूचित जाति की महिलाओं में जो परिवर्तन देखने को मिलते है उनकी गति अत्यन्त धीमी है। वर्तमान समय में हम जब एक विकसित समाज की कल्पना करते है तो यह कल्पना तब तक साकार नहीं हो सकती है जब तक समाज के सभी पक्षों का सम्पूर्ण विकास न हो। इसके लिए आवश्यक है कि समाज का पिछड़ा पक्ष अनुसूचित जाति की महिलाओं को भी समाज की मुख्य धारा में जोड़े और उन्हें समाज के हर क्षेत्र में बराबरी और सम्मानजनक स्थान दें, जिससे हम एक विकसित समाज की कल्पना को साकार कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ

1. घुरिये जी0एस0, 'कास्ट क्लास एण्ड आक्युपेशन,' पापुलर बुक डिपो, बम्बई 1961. 2. कोठारी रजनी, ' कास्ट इन इंडियन पालिटिक्स,' आरियन्ट लाग मैम लिमिटेड, नई दिल्ली 1970. 3. भटट्नागर, राजेन्द्र मोहन, 'डा0 अम्बेडकर : जीवन और दर्शन, किताबघर, गॉधीनगर दिल्ली 1960. 4. आर्य, बलदेव सिंह,' गढ़वाल के हरिजन, हरिदत्त देवरानी द्वारा सम्पादित 'वसुन्धरा' गढ़वाल साहित्य परिषद प्रयाग. 5. वर्मा, मुकुट बिहारी, हरिजन सेवक संघ का इतिहास (1952–68), हरिजन सेवक संघ दिल्ली 1967. 6. अम्बेडकर, बी0आर0,'स्टेटस एण्ड माइनारिटिस', ठक्कर एण्ड कम्पनी,बाम्बे. 7. त्रिपाठी, सी0बी0,'डेवलेपमेण्ट आफ शियुडल कास्ट वूमैन, जर्नल आफ सोशियल 1987. 8. गोंड प्रतिमा,'दलित महिलाओं की वर्तमान स्थिति : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्ष 8, अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2006. 9. सिसौदिया, यतीन्द्र सिंह,2000; पंचायत राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली. 10. उपरोक्त।

* समाजशास्त्र विभाग, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तरांखण्ड